न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 13/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
लादूराम पुत्र कानाराम जाति वि"नोई निवासी ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री डी डी रामावत अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम प्रार्थी ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा का मूल निवासी है तथा प्रार्थी की आजिविका का मुख्य साधन कृषि कार्य है प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा में स्थित है। जिसके खसरा नं. 1036 रकबा 3.8647 हैक्टेयर है उक्त भूमि का प्रार्थी सहखातेदार है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का तथा शेष हिस्सा उसके भाई/सहखातेदार का है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिव"ा लादूराम के स्थान पर लादाराम दर्ज कर दिया गया। जिसे दूरस्त करवाने हेतु प्रार्थी अधिकारी है। इसी माफिक प्रार्थी का नाम उसकी अन्य भूमि में तथा आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, भामा"ााह कार्ड में दर्ज है। जिनकी प्रतिया प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा है। किन्तु राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा संयोगव"ा प्रार्थी का वास्तविक नाम के बजाय लादूराम के स्थान पर लादाराम दर्ज कर दिया गया है। जिसकी ताईद में वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम लादूराम समस्त अन्य दस्तावेजात में मूलरूप से दर्ज है जो कि सही एवं दूरस्त नाम है एवं प्रार्थी उसी नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाता है। जबकि राजस्व रेकर्ड में दोषपूर्ण नाम लादाराम दर्ज है। जिसके चलते प्रार्थी बैंक सुविधा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने सें वंचित है। जिसके लिये राजस्व रेकर्ड दूरस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री के समक्ष पे"ा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर न्यायालय श्री से निवेदन है। कि अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा को आदे"ित किया जावे कि ग्राम भावी जाटावास स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 106 रकबा 3.8347 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम लादाराम पुत्र कानाराम जाति वि"नोई निवासी लाम्बा के स्थान पर लादूराम पुत्र कानाराम जाति वि"नोई निवासी लाम्बा बाबत् दूरस्ती कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदे"ा जारी फरमावे।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पे"ा हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पे"ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 106 रकबा 23.14 बीघा किस्म बा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested

द्वितीय जमाबन्दी चौसाला 2076 से 2079 के खाता सं. 1036 पर लादाराम पुत्र कानाराम 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में नाम लादूराम पुत्र कानाराम दर्ज है।प्रार्थी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना नाम लादाराम पुत्र कानाराम के स्थान पर लादूराम पुत्र कानाराम करवाना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी जे.बी. के खसरा नम्बर 106 रकबा 3.8347 हैक्टेयर में वादी का नाम पंजीयन दस्तावेज के जरिये नामा. दर्ज हुआ है। जिसमें लादाराम पुत्र कानाराम के स्थान पर लादूराम पुत्र कानाराम किये जाने में भूमिधारी की सहमति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद”ा 1 आधार कार्ड , प्रद”ा 2 पहचान पत्र, प्रद”ा 3 भामा”ााह कार्ड, प्रद”ा 4 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रतिलिपि आदि पे”ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम लादूराम पुत्र कानाराम दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की सयुक्त खातेदारी लादाराम पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज है। सरकारी पैरोकार के जवाब का अवलोकन करने पर विदित हुआ कि प्रार्थी का नाम पंजीयन दस्तावेज के जरिये नामान्तरकरण दर्ज किया गया था तथा भूमिधारी ने लादाराम पुत्र कानाराम के स्थान पर लादूराम पुत्र कानाराम का नाम किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फसल”ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested